


334

समक्ष - सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर, (म0प्र0)

प्र.क्र.

2016 पुनरीक्षण



R 3863-#76

- 1 बिहारी आयु 50 वर्ष पिता स्व0 धन्नु सिंह गोंड
- 2 संतोष आयु 45 वर्ष पिता स्व0 धन्नु सिंह गोंड
- 3 शूरी बाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 धन्नु सिंह गोंड
- 4 सेमू सिंह आयु 60 वर्ष पिता मुण्डा सिंह गोंड

सभी निवासी ग्राम झाईताल थाना व तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

.....पुनरीक्षण कर्तागण

बनाम

- 1 मनी सिंह आयु 61 वर्ष पिता कोदारासिंह गोंड
- 2 मिम्भा सिंह आयु 65 वर्ष पिता कोदारासिंह गोंड
- 3 बेलादाई आयु 47 वर्ष पिता धन्नु सिंह गोंड
- 4 जलेवा बाई आयु 42 वर्ष पिता धन्नु सिंह गोंड

दोनो निवासी ग्राम रकझुली, थाना व तह0 जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

.....गैरपुनरीक्षण कर्तागण

मुकेश शर्मा व कोण्ड
15-11-16

516
15-11-16

क
15-11-16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय जैतहरी जिला-अनूपपुर म0प्र0 जरिये राजस्व अपील क्र0-01/अपील/15-16 मनीसिंह एवं अन्य विरुद्ध बिहारी एवं अन्य आदेश दिनांक 09.09.2016

मान्यवर,

अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थीगण द्वारा इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई थी कि आराजी खसरा क्र0 354 रकवा 0.13 ए0, ख0नं0 408 रकवा 3.02 ए0, ख0नं0 1074 रकवा 0.41 ए0, ख0नं0 1093 रकवा 0.62 ए0, ख0नं0 1112 रकवा 1.50 ए0, ख0नं0 1113 रकवा 0.45 ए0, ख0नं0 1151 रकवा 0.37 ए0, ख0नं0 1152 रकवा 0.54 ए0, ख0नं0 1154 रकवा 0.91 ए0, ख0नं0 1155 रकवा

मुकेश शर्मा
15-11-16 (Signature)
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3863-दो/2016

जिला अनूपपुर

बिहारी आदि

विरुद्ध

मनी सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09-9-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 12-4-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>25/2/2019</p>